दुर्व्यवहार की सूचना देने के बाद क्या होता है?

वयस्क संरक्षण सेवाएं अधिनियम (एडल्ट प्रोटेक्टिव सर्विसेज़ एक्ट) के तहत, कथित या संदिग्ध दुर्व्यवहार, उपेक्षा, वित्तीय शोषण या स्व-उपेक्षा की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए निर्धारित की गई एक प्रदाता एजेंसी हर सूचना पर प्रतिक्रिया देगी।

एक प्रशिक्षित केस-कर्मी उस व्यक्ति का साक्षात्कार लेगा जिससे कथित तौर पर दुर्व्यवहार हुआ है या जो कथित तौर पर स्वयं की उपेक्षा कर रहा है। यदि उपयुक्त हो तो, दुर्व्यवहार रोकने हेतु संसाधनों और सेवाओं तक पहुंचने में सहायता करने के लिए एक जांच की जाएगी। व्यक्ति के पास उक्त सहायता स्वीकारने या अस्वीकार करने का अधिकार है। प्रदाता एजेंसी अपराधों के साक्ष्य भी विधि प्रवर्तन को भेजेगी।

गोपनीय: सभी सूचनाएं गोपनीय रखी जाती हैं और बेनामी सूचनाएं भी स्वीकार की जाती हैं।

24-घंटे वयस्क संरक्षण सेवाएं हॉटलाइन:

1-866-800-1409

Engage2Change वेबसाइट:

www2.illinois.gov/aging/Engage

इलिनॉय राज्य
Department on Aging
One Natural Resources Way
Springfield, Illinois 62702-1271

वरिष्ठजन हेल्पलाइन:

1-800-252-8966

@IL_DoA   @illinoisDoA

इलिनॉय जरण विभाग (डिपार्टमेंट ऑन एजिंग) उपयुक्त राज्य एवं संघीय संविधियों के अनुपालन में कार्यक्रमों या गतिविधियों में दाखिले के मामले में भेदभाव नहीं करता है। यदि आपको लगता है कि आपसे भेदभाव किया गया है, तो आपको इलिनॉय जरण विभाग (डिपार्टमेंट ऑन एजिंग) में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। अधिक जानकारी के लिए, वरिष्ठजन हेल्पलाइन को कॉल करें: 1-800-252-8966; 1-888-206-1327 (TTY).

इलिनॉय राज्य के प्राधिकरण द्वारा मुद्रित 1/21 . 300 c IOCI21-0264-2/Hindi

इलिनॉय राज्य
Department on Aging

#ENGAGE 2 CHANGE

पहचानें और सूचना दें बुज़ुर्गों और अशक्त वयस्कों से दुर्व्यवहार

1-866-800-1409

IDoA
Illinois Department on Aging

वयस्कों से दुर्व्यवहार क्या है?

इलिनॉय का कानून निम्नलिखित परिभाषाएं प्रदान करता है:

शारीरिक दुर्व्यवहार – किसी वयस्क को शारीरिक दर्द या चोट/क्षति पहुंचाना।

यौन दुर्व्यवहार – किसी ऐसे वयस्क को छूना, कामोत्तेजक ढंग से छूना/चूमना/पुचकारना/दुलारना/उस पर हाथ फेरना, उसके साथ संभोग या कोई अन्य यौन गतिविधि करना जो समझने में असमर्थ है, सहमति देने का इच्छुक नहीं है, जिसे धमकाया गया है या शारीरिक रूप से विवश किया गया है।

भावनात्मक दुर्व्यवहार – मौखिक/शाब्दिक हमले, बुरे व्यवहार की धमकियां, उत्पीड़न या डराना-धमकाना।

कैद – चिकित्सीय कारणों को छोड़ कर किसी अन्य कारण से किसी वयस्क को निरुद्ध या सबसे अलग करना।

निष्क्रिय उपेक्षा – देखभालकर्ता द्वारा वयस्क को जीवन की आवश्यक वस्तुएं देने में विफलता; उक्त वस्तुओं में भोजन, कपड़े, आश्रय या चिकित्सीय देखभाल शामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

सुविचारित वंचन – किसी वयस्क को उसकी दवा, चिकित्सीय देखभाल, आश्रय, भोजन, उपचारी यंत्र या अन्य शारीरिक सहायता देने से जानबूझ कर मना करना, जिससे वह वयस्क शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हानि के जोखिम में पड़ता हो – तब के सिवाय जब वयस्क ने उक्त देखभाल त्यागने का इरादा जताया हो।

वित्तीय शोषण – किसी वयस्क के संसाधनों का किसी अन्य वयस्क द्वारा स्वामी किसी वयस्क को हानि पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति के मुनाफे या लाभ के लिए उक्त वयस्क के संसाधनों का किसी अन्य वयस्क द्वारा दुरुपयोग या उन्हें अपने नियंत्रण में रोक कर रखा जाना।

स्व-उपेक्षा – एक स्थिति जो शारीरिक या मानसिक या दोनों प्रकार की कमज़ोरियों के फलस्वरूप स्वयं की देखभाल करने के आवश्यक कार्यों को करने में किसी वयस्क की असमर्थता या अत्यधिक घट चुकी क्षमता का परिणाम होती है और जो उसके स्वयं के स्वास्थ्य को काफी हद तक खतरे में डाल देती है; इन आवश्यक कार्यों में शामिल हैं: आवश्यक भोजन, वस्त्र, आश्रय, और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक कुशलक्षेम, और सामान्य सुरक्षा कायम रखने हेतु आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करना।

मुझे और क्या जानना चाहिए?

वयस्क दुर्व्यवहार भेदभाव नहीं करता है। वयस्क दुर्व्यवहार सभी जनजातीय पृष्ठभूमि वाले और सामाजिक स्थिति के सभी स्तरों के लोगों को प्रभावित कर सकता है। आपका पड़ोसी, दोस्त, या परिजन दुर्व्यवहार का पीड़ित हो सकता है। एक आकलन के अनुसार वयस्क दुर्व्यवहार के हर दस या उससे भी अधिक मामलों में से मात्र एक की सूचना दी जाती है।

हमें #Engage2Change के लिए हमारे हिस्से की भूमिका अवश्य निभानी चाहिए। विव 2020 में, इलिनॉय में वयस्क दुर्व्यवहारों की 21,348 सूचनाएं मिली थीं।

आपकी सूचना बदलाव ला सकती है। वयस्क दुर्व्यवहार या स्व-उपेक्षा की सूचना देने से व्यक्तियों को वह सहायता पाने का अवसर मिलता है जो उन्हें दुर्व्यवहार या स्व-उपेक्षी व्यवहार रोकने के लिए चाहिए होती है, और इससे वे अपना भावी जोखिम भी घटा सकते हैं।

यदि मुझे किसी बुजुर्ग या किसी अशक्त वयस्क के साथ दुर्व्यवहार का संदेह है तो मैं कैसे #Engage (संलग्न) हो सकता/ती हूं?

जिस किसी को भी यह संदेह हो कि किसी 60 वर्ष या अधिक की आयु वाले वयस्क या 18 से 59 वर्ष की
आयु वाले किसी अशक्त वयस्क से कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार कर रहा है या उक्त वयस्क स्वयं की उपेक्षा कर रहा है उसे यहां कॉल करनी चाहिए:

जरण विभाग (डिपार्टमेंट ऑन एजिंग) की 24-घंटे वयस्क संरक्षण सेवाएं हॉटलाइन: **1-866-800-1409**

सूचनाएं सीधे उस वयस्क संरक्षण सेवाएं प्रदाता एजेंसी को भी दी जा सकती हैं जहां वयस्क निवास करता है। स्थानीय जानकारी के लिए यहां आएं: www.illinios.gov/aging

कॉल करने वालों को अग्रलिखित सूचनाएं बताने को तैयार रहना चाहिए: क्लाइंट या कथित पीड़ित का नाम व पता, क्या हुआ, वह कहां और कब हुआ, संदिग्ध दुर्व्यवहारकर्ता(ओं) के बारे में जानकारी, वे परिस्थितियां जिनके चलते सूचना दी जा रही है, और कोई तात्कालिक खतरा है या नहीं।